UPGK010067122026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०- 2, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2915/2026

विजय प्रकाश शुक्ला पुत्र हरि प्रकाश शुक्ला उम्र-22 वर्ष निवास-मुंडा कोडरा, थाना-सहजनवां, जिला-गोरखपुर।

--------आवेदक/ अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार --------विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 328/ 2026
अन्तर्गत धारा-69, 356(1), 351(3),352 भा०न्या०सं०
थाना- सहजनवां, जनपद- गोरखपुर।

दिनांक-18-07-2026

1. आवेदक/अभियुक्त विजय प्रकाश शुक्ला द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-328/ 2026 धारा- 69, 356(1), 351(3),352 भा०न्या०सं० थाना- सहजनवां जनपद- गोरखपुर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता हरिप्रकाश शुक्ला द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि अभियुक्त के जमानत की प्रथम दरख्वास्त है कोई अन्य दरख्वास्त माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो दाखिल है, न ही लंबित है और न ही निस्तारित की जा चुकी है।

2. वादिनी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर थाना पर दिया है कि वह 2022 में R.A.C. इंटर कलेज ग्राम-मकटापार, थाना सहजनवा में पढ़ती थी। वहीं पर उसके ग्राम सभा मुंडा कोडरा का विजय प्रकाश शुक्ला पुत्र चंद्र प्रकाश उर्फ झीनक शुक्ला उसके साथ पढ़ता था जो उससे शादी के लिए बार-बार कहता था तब वह कुछ दिनों तक नजर अंदाज करती रही। उसके बाद वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। वह उसके बहकावे और झासे में आ गयी और अप्रैल 2024 में वह उसे सहजनवा स्थित किसी होटल में लेकर गया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया और मोबाइल से कुछ फोटो व वीडियो चोरी चुपके से बना लिया, उसके बाद वह लगातार वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब वह शादी की बात करती थी तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। इधर करीब एक वर्ष से उसकी उससे बात नहीं हो रही थी। दिनांक 24.06.2026 को वह भीटी रावत बाजार से वापस आ रही थी तो रास्ते में जोहिया के पास वह मिला और उसे बीडियो और फोटो दिखाकर जबरदस्ती मिलने का दबाव बना रहा था उसके इंकार करने पर वह वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। कल दिनांक 27.06.2026 को सुबह रोड पर तेतरिया से कोडरा तक उपरोक्त विजय प्रकाश शुक्ला द्वारा अश्लील फोटो प्रिंट आउट कराकर सार्वजनिक स्थान व सड़कों पर फेंक दिया गया, जिसको गांव वालों व पास पड़ोस के लोगों ने देखा है। प्रार्थिनी का पूरा परिवार भयभीत है। तद्नुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को साजिश के तहत हैरान व परेशान करने के गरज से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी दिनांक 28.06.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित धाराओं की कोटि में आने वाला कोई अपराध नहीं किया है। मुकदमा उपरोक्त के तथाकथित घटना की पीड़िता बालिग है। प्रार्थी सम्मानित परिवार का व्यक्ति है। वाद जमानत भागने की आशंका नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष गवाह नहीं है। मुकदमा उपर्युक्त के प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा-180 BNSS के बयान में काफी विरोधाभास है इस नाते भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी के पास गिरफ्तारी के समय कोई अलामात बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी इलेक्ट्रानिक या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। वादिनी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा-180 BNSS व बयान अन्तर्गत धारा-183 BNSS में काफी विरोधाभास है इस नाते भी घटना संदिग्य प्रतीत होती है। प्रार्थी वाद जमानत विवेचना में सहयोग करेगा तथा साक्षियों पर दबाव नहीं बनायेगा। प्रार्थी की जमानत अपर सिविल जज सी०डी०/FTC महोदय के न्यायालय से सरसरी तौर पर निरस्त हो चुकी है। प्रार्थी की श्रीमान् के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही निस्तारित हुई है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। तद्नुसार उक्त कथनों के आधार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा शादी का झूठा वादा करके प्रार्थिनी से शारीरिक संबंध बनाये विरोध करने पर पीड़िता को गाली-गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी है तथा पीड़िता के

अश्लील फोटो प्रिंट कराकर सार्वजनिक स्थान व सड़कों पर फेंका गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि वादिनी मुकदमा/पीडिता की ओर से घटना दिनांक 24.06.2026 से 27.06.2026 समय अदम तहरीर की बताते हुए थाना-सहजनवां पर मु०अ०सं०-328/ 2026 अन्तर्गत धारा-69, 351(3), 352, 356(1) भा०न्या०सं० दिनांक 28.06.2026 को 19:27 बजे आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस कथन के साथ पंजीकृत करायी गयी है कि वह 2022 में R.A.C. इंटर कलेज ग्राम- मकटापार, थाना सहजनवा में पढ़ती थी। वहीं पर उसके ग्राम सभा मुंडा कोडरा का विजय प्रकाश शुक्ला पुत्र चंद्र प्रकाश उर्फ झीनक शुक्ला उसके साथ पढ़ता था जो उससे शादी के लिए बार-बार कहता था तब वह कुछ दिनों तक नजरअंदाज करती रही। उसके बाद वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। वह उसके बहकावे और झांसे में आ गयी और अप्रैल 2024 में वह उसे सहजनवा स्थित किसी होटल में लेकर गया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया और मोबाइल से कुछ फोटो व वीडियो चोरी चुपके से बना लिया, उसके बाद वह लगातार वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब वह शादी की बात करती थी तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। इधर करीब एक वर्ष से उसकी उससे बात नहीं हो रही थी। दिनांक 24.06.2026 को वह भीटी रावत बाजार से वापस आ रही थी तो रास्ते में जोहिया के पास वह मिला और उसे बीडियो और फोटो दिखाकर जबरदस्ती मिलने का दबाव बना रहा था उसके इंकार करने पर वह वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। कल दिनांक 27.06.2026 को सुबह रोड पर तेतरिया से कोडरा तक उपरोक्त विजय प्रकाश शुक्ला द्वारा अश्लील फोटो प्रिंट आउट कराकर सार्वजनिक स्थान व सड़कों पर फेंक दिया गया, जिसको गांव वालों व पास पड़ोस के लोगों ने देखा हैष प्रार्थिनी का पूरा परिवार भयभीत है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि पीड़िता द्वारा अपनी तहरीर में स्वयं की इच्छा के विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त के द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाने का उल्लेख किया है, परन्तु अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०न्या०सु०सं० व 183 भा०न्या०सु०सं० में अपनी उम्र 21 वर्ष बताते हुए कहा है कि "अभियुक्त ने उससे शादी का वादा/झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया है, परन्तु अपनी इच्छा के विरूद्ध आवेद/अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है।" प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि पीड़िता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वीडियो और फोटो वायरल करने की बात कही है, परन्तु ऐसे अश्लील फोटो व वीडियो को संबंधित विवेचक को उपलब्ध नहीं कराया गया है। पीड़िता आवेदक/अभियुक्त को समय 2022 से जान-पहचान होना बताती है। प्रार्थी दिनांक 28.06.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया जाता है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुणदोष पर कोई विचार किये बिना अभियुक्त को सशर्त जमानत दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विजय प्रकाश शुक्ला द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-328/ 2026 धारा- 69, 356(1), 351(3),352 भा०न्या०सं० थाना- सहजनवां जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. वह अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2. वह विचारण के दौरान न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा।

3. वह आरोप विरचन एवं बयान अन्तर्गत धारा-351 दं0 प्र 0 सं0 के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

4. अभियोजन साक्षी के उपस्थित आने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आवेदक/अभियुक्त विजय प्रकाश शुक्ला द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संस्तुष्टि के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(शमीम अहमद अंसारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०-2 गोरखपुर।
J.O.Code UP–1617

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2026.07.18 17:10:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court